निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 86 / 2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 14 / 10 / 2024
निर्णय दिनांक – 24 / 01 / 2025

अनवान

1. किशनलाल पिता चतरा आयु 63 वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
2. रतनलाल पिता चतराराम आयु बालिग वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
3. गोमा पिता चतराराम आयु बालिग वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की भूमि राजस्व ग्राम देवगढ पटवार हल्का देगवढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2076 में खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 2575 / 1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 2576 / 1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2584 / 1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2586 / 1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर खाता संख्या 1451 के आराजी नम्बर 2617 रकबा 0.0700 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1452 के आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.0300 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2583 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल रकबा 0.1000 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1756 के आराजी नम्बर

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

2618 रकबा 1.3300 हैक्टयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.3300 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर वादी की संयुक्त परिवार की सम्पति है। जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की है किन्तु वादी के पिता चतरा पिता मोटा कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत खोलते समय वादी का नाम गलत किशना पिता चतरा दर्ज हो गया जब कि वास्तविक में किशनलाल पिता चतरा दर्ज होना चाहिये था। इसलिये वादी ने उक्त वाद बाबत घोषणा का अपना नाम का शुद्वी के साथ माफिक हिस्से अनुसार जोडने बाबत पेश किया है। वर्तमान समस्त जमाबन्दी के खातो में किशना पिता चतरा नाम गलत है। जब कि अन्य दस्तावेज (राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड) में किशनलाल पिता चतरा दर्ज है। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम किशना पिता चतरा दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरो के कहने से नाम किशना पिता चतरा बता दिया गया है जिससे मेरा वास्तविक नाम किशनलाल पिता चतरा के बजाय राजस्व रेकार्ड में किशना पिता चतरा दर्ज हो गया है उसको दुरस्त खातेदारी घोषणा का वाद पत्र पेश है। मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड में मेरा नाम किशनलाल पिता चतरा दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है एवं किशना पिता चतरा के नाम का कोई मेरे पिता के पुत्र नही है। केवल किशनलाल ही पुत्र है। भुमि का नामान्तरकरण के समय में नाबालिग था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम किशना भुल से लिखा गया है जबकि मेरा नाम किशनलाल है। राजस्व रेकार्ड में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खातेदारी एंव घोषणा का वाद पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्व ग्राम ग्राम देवगढ पटवार हल्का देगवढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2076 में खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 2575/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2576/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2584/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2586/1 क्षेत्रफल 0.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

0100 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर खाता संख्या 1451 के आराजी नम्बर 2617 रकबा 0.0700 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1452 के आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2583 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल रकबा 0.1000 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1756 के आराजी नम्बर 2618 रकबा 1.3300 हैक्टयर, कुल किता 1 कुल रक्बा 1.3300 हैक्टेयर स्थित होकर वादी सह खातेदार में किशना पिता चतरा नाम गलत दर्ज है। जबकि किशनलाल पिता चतरा होना चाहिये था, तथा किशना पिता चतरा नाम का मेरे पिता का कोई पुत्र नही है व ताईद में शपथ पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड संलग्न है। वादी के रेकार्ड में सुधार कर किशना पिता चतरा के बजाय किशनलाल पिता चतरा दर्ज करने का वादी का कब्जा काश्त होने से वादी खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाने हेतु घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। जवाब में उल्लेख किया कि ग्राम देवगढ़ के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 337, 1451, 1452, 1756 के किशना पुत्र चतरा जाति रेगर सा देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड में किशनलाल पुत्र चतरा जाति रेगर दर्ज है जो सही है। ग्राम देवगढ़ के खाता संख्या 337 कुल किता 04 कुल रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खाता संख्या 1451 कुल किता 01 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खाता संख्या 1452 कुल किता 03 कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर, खाता संख्या 1756 कुल किता 01 रकबा 1.3300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होकर हिस्सेनुसार काबिज है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, पेन कार्ड के आधार पर खाता संख्या 337, 1451, 1452, 1756 में किशना पुत्र चतरा के स्थान पर किशनलाल पुत्र चतरा जाति रेगर किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी की भूमि राजस्व ग्राम देवगढ पटवार हल्का देगवढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2076 में खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 2575/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 2576/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2584/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2586/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर खाता संख्या 1451 के आराजी नम्बर 2617 रकबा 0.0700 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1452 के आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.0300 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2583 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल रकबा 0.1000 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1756 के आराजी नम्बर 2618 रकबा 1.3300 हैक्टयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.3300 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर वादी की संयुक्त परिवार की सम्पति है। जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की है किन्तु वादी के पिता चतरा पिता मोटा कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत खोलते समय वादी का नाम गलत किशना पिता चतरा दर्ज हो गया जबकि वास्तव में किशलाल पिता चतरा दर्ज होना चाहिए था। वादी अधिवक्ता द्वारा पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं आधार–कार्ड प्रस्तुत किया सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम किशनलाल पिता चतरा अंकित है जो कि सही है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः–

88. Suits for declaration of right—

महायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं आधार–कार्ड) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवगढ पटवार हल्का देगवढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2076 में खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 2575/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 2576/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2584/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2586/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर खाता संख्या 1451 के आराजी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

नम्बर 2617 रकबा 0.0700 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1452 के आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.0300 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2583 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल रकबा 0.1000 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1756 के आराजी नम्बर 2618 रकबा 1.3300 हैक्टयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 1.3300 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम किशना पिता चतरा हटाकर उसके स्थान पर किशनलाल पिता चतरा राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 24 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

किशनलाल बनाम सरकार व अन्य
86/2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक 24/01/2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखंण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 86/2024

अनवान

1. किशनलाल पिता चतरा आयु 63 वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

वादी

बनाम

1 तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
2. रतनलाल पिता चतराराम आयु बालिग वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
3. गोमा पिता चतराराम आयु बालिग वर्ष जाति रेगर निवासी ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 24/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवगढ पटवार हल्का देगवढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द कि जमाबन्दी सम्वत् 2076–2076 में खाता संख्या 337 आराजी नम्बर 2575/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 2576/1 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2584/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2586/1 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0. 0800 हैक्टेयर खाता संख्या 1451 के आराजी नम्बर 2617 रकबा 0.0700 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1452 के आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.0300 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2583 रकबा 0.0300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2585 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल रकबा 0.1000 हैक्टयर एवं खाता संख्या 1756 के आराजी नम्बर 2618 रकबा 1.3300 हैक्टयर, कुल किता 1 कुल

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

क्षेत्रफल 1.3300 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम किशना पिता चतरा हटाकर उसके स्थान पर किशनलाल पिता चतरा राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द